डाक पंजीयन सं. जयपुर सिटी/101/2020-22

वर्ष : 09 >अंक : 07 >मूल्य: 10 रुपए >पृष्ठ : 08

साप्ताहिक समाचार | मीडिया दृष्टिकोण

हिलव्यू समाचार

मित्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की सभी सुधि पाठकों को हार्दिक शुभकामनाएं

जयपुर रविवार, 07 अगस्त 2022

R.N.I. No. RAJHIN/2014/56746

hillviewsamachar@gmail.com

अटेंशन प्लीज...

राजस्व घाटा और घोटाला

कोचिंग व्यवसायी बेरोज़गार वर्ग नहीं, फिर भी इन पर इतनी मेहरबानी क्यूं?

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कृपया ध्यान दें!

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के मेगा प्रोजेक्ट कोचिंग हब का आवंटन लॉटरी द्वारा होने में 500 करोड़ से ज़्यादा के राजस्व का घाटा या घपला होने जा रहा है.....कृपया इसे अतिशीघ्र रोकें!

शालिनी श्रीवास्तव

जयपुर। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड प्रतापनगर के मेगा प्रोजेक्ट कोचिंग हब परिसर के अध्ययन कक्षों के बेचान में यदि ई-ऑक्शन किया जाता है तो लगभग ढाई सौ करोड़ के इस लॉटरी से लुटने वाली संपत्ति की क़ीमत दोगुनी-तिगुनी मिलने की पूरी संभावना है। यह संभावना इसीलिए और दृढ़ हो जाती है जब ई-ऑक्शन में इसी परिसर की बाहर की दुकानें निर्धारित क़ीमत 35 लाख से बढ़कर 01 करोड़ की क़ीमत में ई-ऑक्शन द्वारा हाल ही में बेची गयी हैं। कोचिंग हब की अगर ई-ऑक्शन में दोगुनी क़ीमत मिलती है तो 500 करोड़ और तिगुनी बोली लगी तो लगभग 700-800 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व राजस्थान सरकार को प्राप्त होगा।

जहाँ एक ओर प्रतापनगर सांगानेर एरिया में 200 फीट रोड पर कमर्शियल डीएलसी रेट ही लगभग प्रति वर्ग मीटर 69,997 रुपये है। इस डीएलसी रेट के आधार पर प्रतिवर्ग फिट लगभग 22 हज़ार रुपये कमर्शियल रेट किसी कॉमर्शियल शॉप की बनती है। ऐसे में कोचिंग हब के इन अध्ययन कक्षों का 15 हज़ार प्रति वर्ग मीटर का बेचान करना राजस्व के साथ धोखा ही नहीं मनमानी भी है।

तुरंत प्रभाव से गंभीर विचार योग्य सुझाव

श्रीमान अशोक गहलोत
माननीय मुख्यमंत्री
राजस्थान सरकार

विषय: प्रतापनगर कोचिंग हब के परिसर को लॉटरी योजना से बदलकर ई-ऑक्शन ही करने के सुझाव के क्रम में।

श्रीमान,

निवेदन है कि राजस्थान आवासन मण्डल का कोचिंग हब संबंधित सुविचार एक प्रोजेक्ट के रूप में प्रतापनगर,जयपुर में अंतिम रूप ले रहा है। इस परिसर में आगे दी गयी दुकानों को ई-ऑक्शन के माध्यम से बेचा गया है जिसमें दोगुनी-चौगुनी कीमत प्राप्त होने से आवासन मण्डल,जयपुर को अच्छी आय प्राप्त हो सकी है। लेकिन कोचिंग हब के भीतर के परिसर के ब्लॉक्स को लॉटरी में परिवर्तित करना एक बेहद असमंजस और आश्चर्यजनक निर्णय है इससे राजस्व को बहुत बड़ी हानि हो रही है। कोचिंग हब के मुख्य द्वार पर बनी दुकानें ई-ऑक्शन में तिगुनी क़ीमतों में विक्रित हुई हैं। ऐसे में इसके पश्चात भी लॉटरी का निर्णय लेना राजस्व आय में गिरावट का प्रतीक है।

राजस्थान सरकार यदि इस सोच के साथ कोचिंग संचालकों को रियायत दे रही है कि ई-ऑक्शन में सामान्य आर्थिक आय वाले कोचिंग व्यवसायी वंचित रह जाते हैं अतः भीड़ में भाग्य आजमाने का मौक़ा सभी वर्गों (आर्थिक रूप से) दिया जा रहा है तो यह सरासर भ्रम ही है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि ज़रूरतमंद को ही इस अवसर का लाभ मिलेगा और तो और धनाढ्य वर्ग के कोचिंग संचालक अपने कई आवेदन अलग-अलग आवेदक के नाम से भी डालकर लाभ ले जा सकते हैं।

ऐसे में उपाय है कि -

- इस कोचिंग हब परिसर का लगभग 25% भाग इन आर्थिक रूप से कमज़ोर कोचिंग धारकों के लिए आरक्षित कर दिया जाए।
- उसमें शर्त लागू कर दी जाये कि 10 लाख से कम आय वर्ग और कम से कम दो वर्ष से संचालित कोचिंग धारक ही आवेदन कर सकते हैं।
- यह परिसर जो आवेदक संस्थान है उसी संस्थान के नाम से संचालित किया जा सकता है यानी जिस संस्थान के नाम से आवेदन किया गया है। इसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।

अतः -------

निवेदन है कि बाक़ी 75% कोचिंग परिसर ई-ऑक्शन से ही विक्रय किया जाए। इससे जो दुगुनी-चौगुनी आय होगी वह राजस्थान सरकार के राजस्व में तो वृद्धि करेगी ही बल्कि 25% भाग जो आरक्षित वर्ग को दिया गया उसकी भी भरपाई हो जाएगी।

तुरंत प्रभाव से गंभीर विचार योग्य सुझाव

श्रीमान कालराज मिश्र
माननीय राज्यपाल
राजस्थान सरकार

विषय: प्रतापनगर कोचिंग हब के परिसर को लॉटरी योजना से बदलकर ई-ऑक्शन ही करने के सुझाव के क्रम में।

श्रीमान,

निवेदन है कि राजस्थान आवासन मण्डल का कोचिंग हब संबंधित सुविचार एक प्रोजेक्ट के रूप में प्रतापनगर जयपुर में अंतिम रूप ले रहा है। इस परिसर में आगे दी गयी दुकानों को ई-ऑक्शन के माध्यम से बेचा गया है जिसमें दोगुनी-चौगुनी कीमत प्राप्त होने से आवासन मण्डल,जयपुर को अच्छी आय प्राप्त हो सकी है। लेकिन कोचिंग हब के भीतर के परिसर के ब्लॉक्स को लॉटरी में परिवर्तित करना एक बेहद असमंजस और आश्चर्यजनक निर्णय है इससे राजस्व को बहुत बड़ी हानि हो रही है। कोचिंग हब के मुख्य द्वार पर बनी दुकानें ई-ऑक्शन में तिगुनी क़ीमतों में विक्रित हुई हैं। ऐसे में इसके पश्चात भी लॉटरी का निर्णय लेना राजस्व आय में गिरावट का प्रतीक है।

राजस्थान सरकार यदि इस सोच के साथ कोचिंग संचालकों को रियायत दे रही है कि ई-ऑक्शन में सामान्य आर्थिक आय वाले कोचिंग व्यवसायी वंचित रह जाते हैं अतः भीड़ में भाग्य आजमाने का मौक़ा सभी वर्गों (आर्थिक रूप से) दिया जा रहा है तो यह सरासर भ्रम ही है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि ज़रूरतमंद को ही इस अवसर का लाभ मिलेगा और तो और धनाढ्य वर्ग के कोचिंग संचालक अपने कई आवेदन अलग-अलग आवेदक के नाम से भी डालकर लाभ ले जा सकते हैं।

ऐसे में उपाय है कि -

- इस कोचिंग हब परिसर का लगभग 25% भाग इन आर्थिक रूप से कमज़ोर कोचिंग धारकों के लिए आरक्षित कर दिया जाए।
- उसमें शर्त लागू कर दी जाये कि 10 लाख से कम आय वर्ग और कम से कम दो वर्ष से संचालित कोचिंग धारक ही आवेदन कर सकते हैं।
- यह परिसर जो आवेदक संस्थान है उसी संस्थान के नाम से संचालित किया जा सकता है यानी जिस संस्थान के नाम से आवेदन किया गया है। इसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।

अतः -------

निवेदन है कि बाक़ी 75% कोचिंग परिसर ई-ऑक्शन से ही विक्रय किया जाए। इससे जो दुगुनी-चौगुनी आय होगी वह राजस्थान सरकार के राजस्व में तो वृद्धि करेगी ही बल्कि 25% भाग जो आरक्षित वर्ग को दिया गया उसकी भी भरपाई हो जाएगी।

उप-पंजीयक का नाम :- SANGANER-I
जोन :- PRATAP NAGAR SCHEME
गाँव/कॉलोनी:- COMMERCIAL - MORE THAN 100 FEET ROAD

---------------Commercial--------------

रोड :- 30 फ़ीट से कम - - वर्ग मीटर
रोड :- 30 फ़ीट से अधिक - 69997 वर्ग मीटर

इनको भेजा गया है ई-ऑक्शन हेतु सुझाव पत्र

- राज्यपाल महोदय श्री कालराज मिश्र
- मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत
- यूडीएच मंत्री श्री शान्ति धारीवाल
- मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा
- प्रमुख सचिव श्री कुंजीलाल मीणा
- आयुक्त हाउसिंग बोर्ड श्री पवन अरोड़ा
- प्रतापनगर उपायुक्त श्री के.सी.ढाका

आम जनता द्वारा दिये गए अनेक तरह टैक्स से सरकार को आय होती है और उसे सरकार द्वारा जनता के हितों के लिए ही खपाया जाता है। ऐसे में 700-800 करोड़ के कोचिंग हब के आवंटन को लॉटरी सिस्टम से करके सरकार किस बुद्धिमता का परिचय दे रही है?

इस सन्दर्भ में सुझाव पत्र राजस्थान राज्य के संविधान,शासन व प्रशासन के प्रतिनिधियों के नाम मेरे द्वारा भेजा गया है। जिसमें मैंने यही बात पत्र के माध्यम से पँहुचाने की कोशिश की है कि यह लॉटरी में लुटता राजस्व बचाया जाए और कोचिंग हब के पूरे परिसर का ई-ऑक्शन ही किये जाने निर्णय लिया जाए।

ख़बर बेख़बर

शालिनी श्रीवास्तव

जगतपुरा जोन 9 में लगातार बढ़ रहे हैं अवैध निर्माण और अतिक्रमण

जयपुर (हिलव्यू समाचार)। जगतपुरा क्षेत्र ऐसी बड़ी आबादी है जो आने वाले समय में मानसरोवर की तरह ही फैली जाऐगी। धीरे-धीरे बनती-बढ़ती मल्टीस्टोरी बिल्डिंग्स गुंडगाँव सी शक़्ल देने लगी है आने वाले समय में जगतपुरा गुंडगाँव बनने की तरफ अग्रसर है। चरागाह भूमि हो या कृषि भूमि, मंदिर हेतु दी गयी भूमि हो या आवासीय भूमि इन सभी पर कमर्शियल निर्माण हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि बिल्डिंग बायलॉज को ताक में रखकर लगातार यह अवैध निर्माण और अतिक्रमण बढ़ते जा रहे हैं।

जेडीए ज़ोन 9 इसका सशक्त उदाहरण हैं। कहीं मंदिर तो कहीं एग्रीकल्चर की ज़मीनों पर अनेक दुकानें उग आई हैं।

जेडीए के मुख्य प्रर्वतन अधिकारी इसकी अनदेखी क्यूं कर रहे है यह सोचने की विषय है। क्या जेडीए ज़ोन 9 के संज्ञान में यह सब मामले नहीं हैं और अगर हैं तो अब तक इन पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई? जहाँ एक ओर जेडीए लगातार अतिक्रमण और अवैध निर्माणों पर जेसीबी चला रहा है वहीं ज़ोन 9 में भूमाफ़ियाओं के हौसलें कैसे बुलंद हैं?

जेडीए 09 के संबधित अधिशासी अधिकारी धर्मचंद मीणा से लगातार संपर्क करने पर कोई प्रतिउत्तर नहीं मिला। अपने नाम अनुरूप व्यवहार नहीं अधिशासी अधिकारी महोदय का अन्यथा अगर ये अपना धर्म-कर्म निभाते तो इन बढ़ते अतिक्रमणकारियों के हौसलें इतने न बढ़ते।

आख़िर जेडीए ज़ोन 9 ने आँखें क्यों मूंद रखीं हैं इन अतिक्रमणों और अवैध निर्माणों से। कहीं मिलीभगत का ही परिणाम तो सरकार को चूना नहीं लगा रहा?

प्लॉट न.44 आशादीप श्रीपुरम,डी मार्ट के पास जगतपुरा

महल रोड़, डी मार्ट के पास जगतपुरा

अब बिना सरकारी इजाजत प्रतियोगी परीक्षा दे सकेंगे राजकीय कार्मिक

जयपुर (हिलव्यू समाचार)। राज्य सरकार ने प्रदेश में राजकीय सेवा में कार्यरत कार्मिकों के नौकरी संबंधी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने पर विभागीय अनुमति की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। हालांकि कार्मिकों को परीक्षा पास करने के बाद नए पद को ग्रहण करने से पूर्व विभागीय अनुमति लेने की अनिवार्यता को बरकरार रखा गया है। पूर्व में यह व्यवस्था आरपीएससी की ओर से आयोजित परीक्षाओं पर ही लागू होती थी। अधिकारिक जानकारी के अनुसार, वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि पूर्व में भी इस संबंध में आदेश जारी किए गए थे, लेकिन विभागों की ओर से इस संबंध में पुनरीक्षण किए जाने की प्रक्रिया के चलते आदेश प्रभावी नहीं हो पाए थे।

लम्पी डिजीज की समीक्षा

केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान के प्रयासों को सराहा, अतिरिक्त मदद का आश्वासन

हिलव्यू समाचार

राजस्थान के पशुओं में लम्पी स्किन डिजीज तेजी से फैलती जा रही है। संक्रमण को लेकर शनिवार को केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राज्य सरकार के मंत्रियों तथा विभागीय अधिकारियों के साथ प्रदेश में लम्पी स्किन डिजीज की स्थिति एवं रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। इस दौरान रूपाला ने कहा कि मवेशियों में फैल रही लम्पी स्किन डिजीज की रोकथाम के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार मिलकर गंभीर प्रयास कर रही है और जल्द ही इसे नियंत्रित करने में सफल होंगे। उन्होंने बीमारी से बचाव के लिए राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों को संतोषजनक बताते हुए केंद्र से हर संभव मदद करने के लिए आश्वस्त किया।

केंद्र प्राथमिकता से देगा फंड

रूपाला ने कहा कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरी क्षमता के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। स्वस्थ पशुओं का गोट पॉक्स वैक्सीन लगाएं। अति प्रभावित क्षेत्र में 3 एमएल के डोज का उपयोग करें और कम प्रभावित एवं अप्रभावित क्षेत्र के पशुओं को 1 एमएल का डोज लगाएं। रूपाला ने वैक्सीन एवं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के साथ प्राथमिकता से फंड देने के लिए आश्वस्त किया।

सीएम ने किया सहयोग का आग्रह

सीएम गहलोत ने लम्पी की रोकथाम के लिए भामाशाहों, दानदाताओं, समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों, कार्मिकों एवं सभी वर्गों से आर्थिक सहयोग करने के लिए अपील की है। गहलोत ने लम्पी स्किन डिजीज से पशुओं को निजात दिलाने के लिए अलग से बैंक खाता खोलने की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जयपुर सचिवालय शाखा में खोला गया है।

विशेषज्ञ दल भेजें: कटारिया

बैठक में राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराते हुए पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि इसके लिए पूरी गंभीरता के साथ प्रयास हो रहे हैं और प्रभावी मॉनिटरिंग की जा रही है। बीमारी में रोकथाम और सहायता के लिए मंत्री ने केंद्र सरकार से विशेषज्ञ भेजने की मांग की।

पुलिस ने तीन दिन में ढूँढ निकाला एसएमएस से चुराया गया मासूम

हिलव्यू समाचार

जयपुर। सवाई मानसिंह अस्पताल के बांगड़ यूनिट से अपहरण किए गए 4 महीने के मासूम बच्चे को जयपुर पुलिस ने तीन दिन बाद सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने बच्चे को मानसरोवर के शिप्रा पथ थाना इलाके के रीको इंडस्ट्रियल एरिया में पवन विहार कॉलोनी से बरामद किया है। बच्चे को चुराने वाले आरोपी राजू उर्फ हेमेंद्र को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि तीन अगस्त को एसएमएस अस्पताल के बांगड परिसर के पास से अज्ञात व्यक्ति चार माह के बच्चे का अपहरण कर ले गया था। उपायुक्त जयपुर पूर्व डॉ. राजीव पचार, उपायुक्त योगेश गोयल के नेतत्व में 40 टीमों का गठन कर जांच शुरू की गई थी। इसके लिए जिलों की सीएसटी और डीएसटी टीमों को भी सक्रिय किया गया था। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजयपाल लांबा ने बताया कि आरोपी के चार बच्चियां हैं। उसने पुत्र की चाह में बच्चे का अपहरण किया था।

हर जगह खंगाले कैमरे

श्रीवास्तव ने बताया कि बच्चे की तलाश में पुलिस ने शहर के विभिन्न स्थानों, मुख्य मार्गों और टोल नाकों पर सीसीटीवी खंगाले। इसके अलावा शहर से बाहर जाने वाले वाहनों की भी जांच की गई। शहर के चारों और आरोपी की फोटो के आठ हजार से अधिक पेम्फलेट बंटवाए गए। इसके अलावा कोटा, दौसा, मध्यप्रदेश में पुलिस टीम भेजी गई। वहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस से भी मामले में चर्चा की गई।

वोटों का गणित: धनखड़ 528 अल्वा 182

जगदीप धनखड़ बने उपराष्ट्रपति

11 को सवेरे 10 बजे होगा शपथ ग्रहण

■ प्रधानमंत्री मोदी सहित आला नेताओं ने दी बधाई

एजेंसी

नई दिल्ली। चुनाव में जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की प्रत्याशी मार्गरेट अल्वा पर बड़ी जीत हासिल की। धनखड़ को 528 वोट मिले। वहीं, विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले हैं। 15 वोट अमान्य रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए उपराष्ट्रपति चुने जाने पर जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत करीब 93 प्रतिशत सांसदों ने मतदान किया, जबकि 50 से अधिक सांसदों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया।

अधिकारियों ने बताया कि शाम पांच बजे जब मतदान संपन्न हुआ, तब तक कुल 780 सांसदों में से 725 ने मतदान किया था। मतदान संपन्न होने के बाद मतगणना आरंभ हो गई। मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ था। संसद के दोनों सदनों को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 788 होती है, जिनमें से उच्च सदन की आठ सीट फिलहाल रिक्त है। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव में 780 सांसद वोट डालने के लिए पात्र थे। तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वह मतदान से दूर रहेगी। उसके दोनों सदनों को मिलाकर कुल 39 सांसद हैं।

इधर, चुनाव हारीं मार्गरेट अल्वा ने कहा कि भाजपा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करके, कुछ दलों और उनके नेताओं ने अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है।

धनखड़ का सफर

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, बार काउंसिल के सदस्य और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को किठाना गांव, झुंझुनूं जिला, राजस्थान में हुआ था। धनखड़ के परिवार में 4 भाई बहन है। बीजेपी में शामिल होने से पहले, वह 1989 से 1991 तक राजस्थान के झुंझुनू से जनता दल के सांसद थे। इस दौरान वे साल 1990 में एक संसदीय समिति के अध्यक्ष चुने गए। वर्ष 1990 में ही वे केंद्रीय मंत्री रहते हुए यूरोपीय संसद में एक संसदीय समूह के उप नेता के रूप में एक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। इसके बाद वे 1993 से 1998 के बीच कांग्रेस के टिकट पर राजस्थान के किशनगढ़ से विधायक चुने गए।